संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी

छठवी मंजिल, विन्ध्यांचल भवन, म0प्र0 भोपाल
फोन :–0755–2578491, फेक्स–2570122
E- rkvyhorti@mp.gov.in

भोपाल, दिनांक 1/6/2020

क्रमांक/उद्यान/RKVY/2020-21/ 3556

प्रति,

उप/सहायक संचालक उद्यान,
जिला- धार, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, शाजापुर, छिंदवाडा, बडवानी, देवास एवं दमोह।

विषय:-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-रफ्तार अंतर्गत वर्ष 2019-20 में **"Promotion of plug type seedling production at farmers field"** के शेष भौतिक-वित्तीय लक्ष्य का वर्ष 2020-21 में आबंटन बावत।

संदर्भ:- संचालनालय का क्र/उद्यान/RKVY/2019-20/211 भोपाल, दिनांक 07/01/2020

---0---

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-रफ्तार अंतर्गत वर्ष 2019-20 मे "Promotion of plug type seedling production at farmers field" परियोजना के क्रियान्वयन हेतु भातिक- वित्तीय. लक्ष्य जारी किए गए थे। परंतु लक्ष्यों की शतप्रतिशत पूर्ति नहीं होने से शेष बचे लक्ष्यों की पूर्ति इस वर्ष 2020-21 में किए जाने हेतु भौतिक-वित्तीय लक्ष्यों का आवंटन किया जा रहा है। परियोजना का क्रियान्वयन मध्यप्रदेश फार्मर सब्सिडी ट्रेकिंग सिस्टम (MPFSTS) के माध्यम से किया जाना है। अत: योजना क्रियान्वयन में निम्न निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे:-

1. योजना का क्षेत्र के कृषकों में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जावे।
2. योजना में सभी वर्ग के कृषक पात्र होंगे। प्रत्येक हितग्राही को केवल एक इकाई के लिए लाभ देय होगा।
3. योजनांतर्गत Walk in Tunnels की स्थापना हेतु 500 वर्ग मीटर क्षेत्र एवं Plug type seedling के उत्पादन हेतु 1000 सीडलिंग ट्रे (Tray) निर्धारित है।
4. Walk in Tunnels की स्थापना पर इकाई लागत रूपये 3.00 लाख का 50 प्रतिशत रूपये 1.50 लाख एवं 1000 सीडलिंग ट्रे पर 25 प्रतिशत रूपये 12500/- इस प्रकार अधिकतम कुल रूपये 1.625 लाख अनुदान देय होगा।
5. एमपी एग्रो के माध्यम से Walk in Tunnels की स्थापना एवं सीडलिंग ट्रे की व्यवस्था की जाएगी।
6. योजनांतर्गत Walk in Tunnels के निर्धारित आकार की गणना अनुसार अनुदान भुगतान की कार्यवाही की जाएगी।
7. Walk in Tunnels में लगने वाली सामग्री एवं सीडलिंग ट्रे एमपी एग्रो द्वारा निर्धारित तकनीकी मापदण्ड एवं गुणवत्ता युक्त होनी चाहिए।
8. कार्यादेश/आशय पत्र जारी करने के अधिकतम 15 दिवस के भीतर क्षेत्रीय ग्रा.उ.वि.अधि./वरि.उ.वि.अधि. भ्रमण कर फसल में उपयोग की गई मल्च शीट का निर्धारित तकनीकी मापदण्डों के तहत सत्यापन करेंगे तथा कृषक से मल्च शीट की स्थिति के संबंध में परामर्शीय सेवा प्रदान करने के उपरांत **जियो-टेगिंग** की कार्यवाही करेंगे। इस प्रक्रिया के दौरान हितग्राही की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
9. जिला अधिकारी 01 माह में इस योजना के हितग्राहियों को लाभ पाने की स्थिति की समीक्षा मैदानी अमले के साथ पाक्षिक आधार पर करेंगे तथा जिला अधिकारी रेण्डम आधार पर जिले में भ्रमण कर योजना के हितग्राहियो से सम्पर्क कर योजना क्रियान्वयन की मैदानी स्थिति का आंकलन करेंगे एवं आवश्यकतानुसार सुधारात्मक कदम उठायेंगे।

संलग्न- भौतिक वित्तीय लक्ष्य।

3/6/20

(पुष्कर सिंह)
आयुक्त
उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
मध्यप्रदेश भोपाल

भोपाल, दिनांक 1/6/2020

पृ.क्रमांक/उद्यान/RKVY/2020-21/ 3557

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम, मालवीय नगर, भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि संलग्न अनुसार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को एम.पी.एफ.एस.टी.एस. पोर्टल पर अपलोड करने का कष्ट करें।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत- धार, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, शाजापुर, छिंदवाडा, बडवानी, देवास एवं दमोह।
3. संयुक्त संचालक उद्यान, संभाग- इंदौर, जबलपुर, सागर एवं उज्जैन।

आयुक्त
उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
मध्यप्रदेश भोपाल

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-रफ्तार वर्ष 2019-20 अंतर्गत प्लग टाईप सीडलिंग प्रोडक्शन एट फार्मर्स फील्ड के शेष भौतिक-वित्तीय लक्ष्य का वर्ष 2020-21 में आंवटन

क्र.	जिला	भौतिक (संख्या)				वित्तीय (लाख में)			
		सामान्य	अजजा	अजा	योग	सामान्य	अजजा	अजा	योग
1	धार	20	10	12	**42**	32.500	16.250	19.500	**68.250**
2	झाबुआ	5	5	0	**10**	8.125	8.125	0.000	**16.250**
3	रतलाम	8	2	10	**20**	13.000	3.250	16.250	**32.500**
4	मंदसौर	1	0	0	**1**	1.625	0.000	0.000	**1.625**
5	शाजापुर	7	0	12	**19**	11.375	0.000	19.500	**30.875**
6	छिंदवाडा	1	7	18	**26**	1.625	11.375	29.250	**42.250**
7	बडवानी	3	10	0	**13**	4.875	16.250	0.000	**21.125**
8	देवास	3	0	20	**23**	4.875	0.000	32.500	**37.375**
9	दमोह	3	0	5	**8**	4.875	0.000	8.125	**13.000**
योग		**51**	**34**	**77**	**162**	**82.875**	**55.250**	**125.125**	**263.250**

30/11/20

आयुक्त
उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
मध्यप्रदेश भोपाल